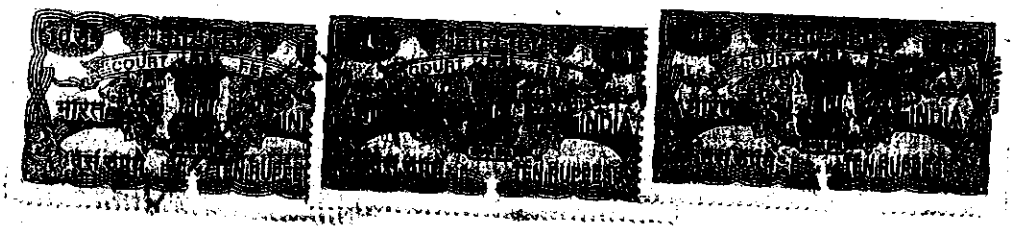

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 III/रिव्यू/मुरैना/भू0रा0/2017/

श्री. श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक
द्वारा आज दि. 21.8.17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

III/पुनर्विलोकन/मुरैना/भू0रा0/2017/2747

1—मुन्नालाल पुत्र खूबा

2—होतम पुत्र खूबा

3—गोपाल पुत्र खूबा

समस्त जाति कोरी निवासी ग्राम खेरियन का पुरा पलपुरा तह0 व जिला मुरैना............................आवेदक

बनाम

म0 प्र0 शासन.......................अनावेदक

पुर्नाविलोकन विरूद्व आदेश दिनांक 03/08/2017
न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
के प्र0क0 III/रिव्यू/मुरैना/भू0रा0/2017/2124
अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है —

1— यह कि ग्राम पलपुरा तह0 व जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 240 रकवा 14 बीघा 9 विस्वा का आवेदक स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

2— यह कि उक्त भूमि का पट्टा आवेदक के पूर्वजों को लगभग 50 वर्ष पूर्व प्रदान किया गया है।

3— यह कि उक्त भूमि के आवेदक भूमि स्वामी घोषित किए जा चुके है किन्तु पटवारी कागजात में अहस्तान्तरणी लिखा आ रहा है।

4— यह कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय कलेक्टर महोदय मुरैना को उक्त भूमि 14 बीघा 9 विस्वा भूमि को विक्रय किये जाने हेतु अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र0क0 76/13—14 x अ/21 पर पंजीबद्व किया जाकर तहसीलदार महोदय को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

5— यह कि तहसीलदार महोदय मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 09/09/2013 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय जाने की अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी महोदय मुरैना भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी महोदय मुरैना अपने प्रतिवेदन दिनांक 05/09/2014 द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक गणो के पास मात्र 1.44 है0 भूमि रह जायेगी। जिससे वह

श्रीकृष्ण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/मुरैना/भूरा/2017/2747

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–9–17	आवेदक अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक तीन/अपील/मुरैना/भूरा/2017/2124 में पारित आदेश दिनांक 03.8.17 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/मुरैना/भूरा/2017/2747 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक तीन/अपील/मुरैना/भूरा/2017/2124 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 27.11.15 से किया जा चुका है। 4– तीन/रिव्यु/मुरैना/भूरा/2017/2747 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं	

उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:-

अ- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब- अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स- कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य